रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007/फाल्गुन 28, 1928
No. 288] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

**का.आ. 394(अ)**—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो से परामर्श करके, खपत की गई ऊर्जा की सघनता या परिमाण ऊर्जा दक्षता उपकरण के परिवर्तन के लिए अपेक्षित विनिधान की रकम तथा उद्योग द्वारा अपेक्षित इसमें विनिधान करने के लिए उद्योग की क्षमता तथा ऊर्जा दक्ष मशीनरी और उपकरण की उपलब्धता के संबंध में यह समाधान हो गया है कि ऊर्जा के कुछ उपयोक्ता या उपयोक्ताओं के वर्ग को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए;

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की अनुसूची कतिपय सघन ऊर्जा उद्योग और अन्य स्थापनों को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करता है;

और केन्द्रीय सरकार, यह विचार करती है कि यह उपबंध करना आवश्यक है कि केवल सघन ऊर्जा उद्योग और अन्य स्थापन जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक उद्योग या स्थापन के सामने यथा उपदर्शित वार्षिक ऊर्जा खपत है, अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किए जाएं ।

अतः, इसलिए केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के खंड (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य सघन ऊर्जा उद्योग और स्थापन की सूची में परिवर्तन करती है, अर्थात्:—

1. तापीय विद्युत केन्द्र—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एनटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
2. खाद—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
3. सीमेंट—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
4. लोहा और इस्पात—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
5. क्लोर—अल्कली तेल समतुल्य का 12,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
6. एल्युमिनियम—तेल समतुल्य का 7,500 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
7. रेल—

(क) प्रत्येक जोनल रेल के विद्युत कर्षण उप केन्द्र (टीएसएस) में अधिकतम ऊर्जा उपभोग नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा–

**सारणी**

| रेल जोन | टीएसएस की सूची |
|---|---|
| (1) | (2) |
| मध्य रेल | वर्धा |
| पूर्व रेल | टीटागढ़ |
| पूर्व मध्य रेल | कोड़रमा |
| पूर्व तटीय रेल | सिंहाचलम उत्तर |
| उत्तर रेल | नरेला |

| (1) | (2) |
|---|---|
| उत्तर मध्य रेल | मथुरा |
| दक्षिण रेल | अवाडी |
| दक्षिण मध्य रेल | कृष्णा केनाल |
| दक्षिण पूर्व रेल | बालीचक |
| दक्षिण पश्चिम रेल | बागारपेट |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेल | बिलासपुर |
| पश्चिम रेल | माकरपुर |
| पश्चिम मध्य रेल | बीना |

(ख) प्रत्येक जोनल रेल में डीजल लोको शेड नीचे दी गई सारणी के अनुसार दिया गया है:—

**सारणी**

| रेल जोन | लोको शेड |
|---|---|
| (1) | (2) |
| मध्य रेल | कल्यान |
| पूर्व रेल | उंडाल |
| पूर्व मध्य रेल | पटराटू |
| पूर्व तटीय रेल | विशाखापटनम |
| उत्तर रेल | लुधियाना |
| उत्तर मध्य रेल | झांसी |
| उत्तर पूर्व रेल | गोंडा |
| उत्तर पूर्व सीमोत्तर रेल | न्यू गुवाहाटी |
| उत्तर पश्चिम रेल | अबु रोड |
| दक्षिण रेल | ईरोड |
| दक्षिण मध्य रेल | काजीपेठ |
| दक्षिण पूर्व रेल | खड़गपुर |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेल | रायपुर |
| दक्षिण पश्चिम रेल | हुबली |
| पश्चिम रेल | वतवा |
| पश्चिम मध्य रेल | न्यू कटनी जंक्शन |

(ग) सभी छह उत्पादन इकाईयां जैसे-इंटीगरल कोच फैक्टरी (आईसीएफ), रेल कोच फैक्टरी (आरसीएफ), चितरंजन लाकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू), डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), डीजल कंपोनेंट वर्क्स (डीसीडब्ल्यू) और रेल व्हील फैक्टरी (आरडब्ल्यूएफ);

(घ) भारतीय रेल की कार्यशालाओं जिनका का कुल वार्षिक ऊर्जा उपयोग 30,000 एमटीओई या अधिक है ।

8. कपड़ा—तेल समतुल्य के 3000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रतिवर्ष और अधिक

9. लुगदी और कागज—तेल समतुल्य के 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक

**टिप्पण** : 1. तेल समतुल्य मीट्रिक टन के निबन्धनों के अनुसार वार्षिक ऊर्जा खपत परिकलित करने के लिए नीचे सारणी में दिए गए ऊर्जा संपरिवर्तन मूल्यों का उपयोग किया जाएगा ।

**सारणी**

| | |
|---|---|
| 1 कि वा. घं | 860 किलोकैलोरी (कि.कैलो.) |
| 1 कि.ग्रा. कोयला/कोक | प्रदायकर्ता का (कोयला कंपनी के) नवीनतम प्रमाण पत्र के अनुसार कुल कैलोरीफिक मूल्य |
| 1 कि.ग्रा. चारकोल | 6,900 कि. कैलो. या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाण पत्र के अनुसार |
| 1 कि.ग्रा. भट्टी तेल/अवशिष्ट ईंधन तेल/निम्न सल्फर भारी स्टाक/नेपथा | 10,050 कि.कैलो (धनत्व = 0.9337 कि.ग्रा/ लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार |
| I कि.ग्रा. उच्च स्पीड डीजल | 11,840 कि. कैलो. (घनत्व=0.8263 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार |
| 1 कि.ग्रा. पैट्रोल | 11200 कि. कैलो. (घनत्व = 0.7087 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार |
| 1 कि.ग्रा. किरासीन | 11,110 कि. कैलो. (एसकेओ का घनत्व = 0.7782 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार |
| 1 कि.ग्रा तरलीकृत पैट्रोलियम गैस | 12,500 कि. कैलो. या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार |
| 1 एम$^3$ प्राकृतिक गैस | 8,000—10,500 कि कैलो. (प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार वास्तविक कैलोरीफिक मूल्य पर विचार किया जाएगा) प्रदायकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र जारी न किए जाने की दशा में 8,000—10,500 कि. कैलो/एम$^3$ के औसत पर विचार किया जाएगा । |
| ईंधन के रूप में प्रयोग किए अन्य ईंधन या अपशिष्ट सामग्री या उपोत्पाद । | परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड गए और व्यासमापन प्रयोगशाला प्रत्यायन प्रयोगशाला या केन्द्रीय सरकार प्रयोगशाला या राज्य सरकार प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला के प्रमाणपत्र के अनुसार सकल कैलोरिफिक मूल्य, परन्तु कैलनेरिफिक मूल्य के निर्धारण के लिए ईंधन का नमूना भी संबद्ध प्रयोगशाला द्वारा लिया गया हो । |

इस सारणी के प्रयोजन के लिए—(i) तेल समतुल्य का 1 कि.ग्रा. : 10,000 कि.कैलो.

(ii) तेल समतुल्य का 1 मीट्रिक टन (एमटीओई) : $10 \times 10^6$ कि.कैलों.

(iii) कोयला, पैट्रोलियम उत्पादों और अन्य ईधनों की दशा में, प्रदायकर्ता के प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में (प्रदायकर्ता द्वारा इसके जारी न किए जाने के कारण), उपर्युक्त ईधन का सकल कैलोरिफिक मूल्य परीक्षण राष्ट्रीय प्रत्यामन बोर्ड और व्यासमापन प्रयोगशाला या प्रत्यायन प्रयोगशाला या केन्द्रीय सरकार प्रयोगशाला या राज्य सरकार प्रयोगशाला या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण प्रमाणपत्र के अनुसार विचार किया जाएगा । परंतु कैलौरिफिक मूल्य के निर्धारण के लिए ईंधन का नमूना संबद्ध प्रयोगशाला द्वारा लिया गया हो ।

**टिप्पण:**2 अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योग या किसी स्थापना की घोषणा के लिए वार्षिक ऊर्जा उपभोग की सीमा को तेल समतुल्य मीट्रिक टन के निर्बंधनों में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्विलोकित किया जाएगा ।

**टिप्पण:**3 इस अनुसूची में उल्लिखित उपबंध रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या उन मंत्रालयों या विभागों के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, या बोर्ड या संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे ।

[फा. सं. 10/13/2002-ई.एम.]

हरीश चंद्र, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2007

**S.O. 394 (E).**—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy efficient machinery and equipment required by the industry, is satisfied that some user or class of users of energy may be specified as designated consumer;

And whereas, the Schedule to the Energy conservation Act, 2001 (52 of 2001), specifies certain energy Intensive Industries and other establishments as designated consumers;

And whereas, the Central Government considers it necessary to provide that only those energy intensive industries and other establishments having annual energy Consumption as indicated against each industry or establishment by the Central Government from time to time, shall be notified as designated consumers;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clauses (e) and (f) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (herein referred to as the said Act), the Central Government, in consulation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby alters the list of Energy Intensive Industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, namely:—

1. Thermal Power Stations-30,000 metrie tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
2. Fertilizer-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
3. Cement-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
4. Iron and Steel-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
5. Chlor-Alkali-12,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
6. Aluminium-7,500 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
7. Railways—

(a) the electric traction Sub-section (TSS) in each Zonal Railway having maximum energy consumption as per the table given below:—

**TABLE**

| Railway Zone | List of TSS |
|---|---|
| Central Railway | Wardha |
| Eastern Railway | Titagarh |
| East Central Railway | Koderma |
| East Coast Railway | Simhachalam North |
| Northern Railway | Narela |
| North Central Railway | Mathura |
| Southern Railway | Avadi |
| South Central Railway | Krishna Canal |
| South Eastern Railway | Balichak |
| South Western Railway | Bangarapet |
| South East Central Railway | Bilaspur |
| Western Railway | Makarpur |
| West Central Railway | Bina |

(b) the diesel loco shed in each Zonal Railway as per table given below:—

**TABLE**

| Railway Zone | Loco Shed |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Central Railway | Kalyan |
| Eastern Railway | Undal |
| East Central Railway | Patratu |
| East Coast Railway | Vishakhapatnam |

| (1) | (2) |
|---|---|
| Northern Railway | Ludhiana |
| North Central Railway | Jhansi |
| North Eastern Railway | Gonda |
| Northeast Frontier Railway | New Guwahati |
| North Western Railway | Abu Raod |
| Southern Railway | Erode |
| South Central Railway | Kazipeth |
| South Eastern Railway | Kharagpur |
| South East Central Railway | Raipur |
| South Western Railway | Hubli |
| Western Railway | Vatva |
| West Central Railway | New Katni Jn. |

(c) all six production units i.e. Integral Coach Factory (ICF), Rail Coach Factory (RCF), Chittaranjan Locomotive Works (CLW), Diesel Locomotive Works (DLW), Diesel Component Works (DCW) and Rail Wheel Factory (RWF);

(d) workshops on Indian Railways having total annual energy consumption of 30,000 MTOE or more.

8. Textile-3,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above

9. Pulp and Paper-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above

**Note :** 1 The energy conversion value given in the table below shall be used for working out annual energy consumption in terms of metric tonne of oil equivalent.

**TABLE**

| | |
|---|---|
| 1kwh | 860 kilocalories (kcal) |
| 1 kg. Coal/Coke | Gross Calorific Value as per supplier's( coal company's) latest certificate |
| 1 kg. Charcoal | 6,900 kcal or as per supplier's lates certificate |
| 1 kg. Furnace Oil/ Residual Fuel Oil/Low Sulphur Heavy Stock-NAPTHA | 10,050 kcal (density=0.9337 kg/ litre) or as per supplier's latest certificate |
| 1 kg. High Speed Diesel | 11,840 kcal (density=0.8263 kg/ litre) or as per supplier's latest certificate |
| 1 kg. Petrol | 11,200 kcal (density=0.7087 kg/ litre) or as per supplier's latest certificate |
| 1 kg. Kerosene | 11,110 kcal (density of SKO=0.7782 kg/ litre) or as per suplier's latest certificate |
| 1 kg. Liquefied Petroleum Gas | 12,500 kcal or as per supplier's latest certificate |
| 1 $M^3$ Natural Gas | 8,000-10,500 kcal (Actual calorific value as per supplier's latest certificate will be considered.) In case of non-issue of certification by the supplier, average of the range 8000-10,500 kcal/$M^3$ will be considered). |
| Other Fuels or waste material or by product used as a Fuel | Gross Calorific value as per the certificate from a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory or Central Government laboratory or State Government laboratory or Government approved laboratory provided the fuel sampling for assessing the calorific value has also been carried out by the concerned laboratory. |

For the purpose of this table,—(i) 1 kg. of Oil Equivalent: 10,000 kcal

(ii) 1 Metric Tonne of Oil Equivalent (MTOE): $10 \times 10^6$ kcal

(iii) In case of coal, petroleum products and other fuels, in absence of the supplier's certificate (due to its non-issue by the supplier), the gross calorific value of the above fuels will be considered as per the Test Certificate from a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Accredited Laboratory or Central Government Laboratory or State Government Laboratory or Government recognized Laboratory provided the fuel sampling for assessing the calorific value has also been carried out by the concerned Labourtory.

**Note : 2** For the purpose of declaring energy intensive industry or any other establishment specified in the Schedule to the Act, the limit of annual energy consumption in terms of metric tonne of oil equivalent shall be reviewed every three years with effect from the date of publication of this notification.

**Note : 3** The provisions mentioned in this Schedule shall not be applicable to the Ministry or the Department of the Central Government dealing with Defence, Atomic Energy, Space, Internal Security or Undertakings or Boards or Institutions under the control of such Ministries or Departments.

[F.No. 10/13/2002-EM]

HARISH CHANDRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2821] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937
No. 2821] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 3542(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से खपत की गई ऊर्जा की तीव्रता या मात्रा और ऊर्जा दक्ष उपकरण में प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक निवेश की राशि तथा इसमें निवेश के लिए उद्योग की क्षमता और ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष मशीनरी एवं उद्योग द्वारा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता के विषय में, इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की खण्ड 14 के खण्ड (ड.) के अधीन अधिसूचित (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट नौ ऊर्जा सघन उद्योगों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को तारीख 19 मार्च, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित तारीख 12 मार्च, 2007 के का.आ. 394(अ) में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा अभिहित उपभोक्ता कहा गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों की सूची तथा उक्त आदेश की टिप्पण 2 में किए गए कथन में मीट्रिक तेल समकक्ष के संदर्भ में ऊर्जा खपत की सीमा का पुनर्विलोकन किया है, और यह समाधान है कि कुछ अन्य प्रयोक्ताओं या ऊर्जा के प्रयोक्ताओं के वर्ग को अभिहित उपभोक्ता के रूप में निर्दिष्ट किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने इसे आवश्यक पाया है कि केवल उन ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को समय समय पर अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया जाए, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक उद्योग या स्थापन के प्रति उपदर्शित की गई है :

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की खण्ड 14 के खण्ड (ड.) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेशों में निम्नलिखित ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापन को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :

उक्त आदेश में, -

(i) उप पैरा 7 में रेल से संबंधित – (क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) सभी आंचलिक रेल, जिनकी ट्रैक्शन वार्षिक ऊर्जा खपत 70,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) प्रति वर्ष और इससे अधिक है, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है :-

| क्र. सं. | आंचलिक रेल |
|---|---|
| 1 | मध्य रेल अंचल |
| 2 | पूर्व केंद्रीय |
| 3 | पूर्वी तट |
| 4 | पूर्वी |
| 5 | उत्तर मध्य |
| 6 | उत्तर-पूर्वी |
| 7 | पूर्वोत्तर सीमांत |
| 8 | उत्तरी |
| 9 | उत्तर पश्चिमी |
| 10 | दक्षिण मध्य |
| 11 | दक्षिण पूर्व |
| 12 | दक्षिण पूर्वी |
| 13 | दक्षिण |
| 14 | दक्षिण पश्चिमी |
| 15 | पश्चिम मध्य |
| 16 | "पश्चिमी; |

(ख) खण्ड (ख) को लोप किया जाएगा;

**(ii)** उप पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"10. पेट्रोलियम परिष्करणी**: उक्त उद्योग की इकाइयों में प्रतिवर्ष 90,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) या इससे अधिक की ऊर्जा खपत है।

**11. विद्युत वितरण कंपनियां -** उक्त उद्योग की इकाइयों में प्रतिवर्ष 86,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) या इससे अधिक की ऊर्जा खपत है";

(iii) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"टिप्पण 4**: उप पैरा 11 में दिए गए आदेश विनिर्दिष्ट विद्युत वितरण कंपनियों की ऊर्जा खपत नियत करने के प्रयोजन के लिए उक्त इकाइयों को टिप्पण 1 के अधीन संपरिवर्तन सारणी का उपयोग करते हुए सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) के रूप में लिया जाएगा।"

[एफ. सं.10/13/2002-ईएम]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

**S.O. 3542(E).—**Whereas the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to the energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy, energy efficient machinery and equipment required by the industry, notified under clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) [hereinafter referred to as the said Act], nine energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, as designated consumers by notification of the Government of India in the Ministry of Power Number S.O. 394(E) dated the 12th March, 2007 [hereinafter referred to as the said Order] published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th March, 2007;

And whereas, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishment specified in the Schedule to the said Act, and the limit of energy consumption in terms of metric tonne of oil equivalent stated in Note 2 in the said order, and is satisfied that some other user or class of users of energy may be specified as designated consumers;

And whereas, the Central Government considered it necessary to provide that only those energy intensive industries and other establishment having annual energy consumption as indicated against each industry or establishment by the Central Government from time to time shall be notified as, designated consumers:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby amends the said Order to specify the following energy intensive industries and other establishments, as Designated Consumers, namely:—

In the said order,—

(ii) In sub-paragraph 7 relating to Railways,- (A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) All zonal railways having traction annual energy consumption of 70,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above, as per Table given below:-

| S.No. | Zonal Railway |
|---|---|
| 1 | Central Railway Zone |
| 2 | East Central |
| 3 | East Coast |
| 4 | Eastern |
| 5 | North Central |
| 6 | North Eastern |
| 7 | Northeast Frontier |
| 8 | Northern |
| 9 | North Western |
| 10 | South Central |
| 11 | South East |
| 12 | South Eastern |
| 13 | Southern |
| 14 | South Western |
| 15 | West Central |
| 16 | Western"; |

(B) clause (b) shall be omitted;

**(ii)** after sub paragraph (9), the following shall be inserted, namely:—

**"10**. **Petroleum Refinery**—Units of such industry having energy consumption of 90,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year or above.

**11. Electricity Distribution Companies—**Units of such industry having energy consumption of 86,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above";

(iii) after Note 3, the following note shall be inserted, namely:-

**"Note: 4** For the purpose of establishing energy consumption of Electricity Distribution Companies specified in the order at sub-paragraph 11, energy consumption of such units shall be considered as Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses by using conversion Table under Note 1."

[F. No. 10/13/2002- EM]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 1225] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

**का.आ. 1388(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से खपत की गई ऊर्जा की तीव्रता या मात्रा और ऊर्जा दक्ष उपकरण में प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक निवेश की राशि तथा इसमें निवेश के लिए उद्योग की क्षमता और ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष मशीनरी और उद्योग द्वारा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता के विषय में, इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ड.) के अधीन अधिसूचित (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट 9 ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को तारीख 19 मार्च, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित तारीख 12 मार्च, 2007 के का. आ. 394(अ) में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा अभिहित उपभोक्ता कहा गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों की सूची का पुनर्विलोकन किया है और यह समाधानप्रद है कि ऊर्जा के कुछ अन्य प्रयोक्ताओं या प्रयोक्ताओं के वर्ग को उक्त आदेश में अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है कि केवल उन ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को समय समय पर अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया जाए, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक उद्योग या स्थापन के प्रति उपदर्शित की गई है:

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ड.) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश और संशोधन में निम्नलिखित ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापन को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :

उक्त आदेश में, उप पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"12. वाणिज्यिक भवन या स्थापन (होटल) - वाणिज्यिक भवनों या स्थापनों के तहत उक्त होटलों की खपत प्रतिवर्ष 1000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) और इससे अधिक यूनिट की है।"

[फा. सं. 10/06/2015 –ईसी]
राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पणी :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. सं. 394(अ.), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन कां.आ. सं. 2022(अ.) तारीख 8 जून, 2016 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF POWER**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2017

**S.O. 1388(E).—**Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to the energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy, energy efficient machinery and equipment required by the industry, notified under clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) [hereinafter referred to as the said Act], nine energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, as designated consumers by notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 [hereinafter referred to as the said Order], published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007;

And whereas, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, and is satisfied that some other user or class of users of energy may be specified as designated consumers in the said Order;

And whereas, the Central Government considered it necessary to provide that only those energy intensive industries and other establishments having annual energy consumption as indicated against each industry or establishment by the Central Government from time to time shall be notified as designated consumers:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said Order to specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:—

In the said Order, after sub-paragraph 11, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"12. Commercial buildings or establishments (Hotels) – Units of such hotels under commercial buildings or establishments having energy consumption of 1,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above."

[F. No.10/06/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.394(E), dated the 12th March, 2007 and last amended vide notification number S.O 2022(E), dated the 8th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.04 12:25:26 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3156] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2017/कार्तिक 24, 1939
No. 3156] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2017/KARTIKA 24, 1939

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

**का.आ. 3600(अ)**.—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ड.) जिसे इसमें इनके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट बारह ऊर्जा संघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को तारीख 19 मार्च 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित तारीख 12 मार्च, 2007 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के का.आ. सं. 394(अ) में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा अभिहित उपभोक्ता कहा गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने उपभोग की गई ऊर्जा की तीव्रता या मात्रा तथा ऊर्जा दक्ष अपेक्षित उपकरणों में बदलाव के लिए निवेश की राशि और उद्योग द्वारा अपेक्षित उपकरण तथा ऊर्जा दक्ष मशीनरी की उपलब्धता के विषय में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों की सूची का पुनर्विलोकन किया है और यह समाधान होने के पश्चात् कि विशिष्ट ऊर्जा खपत वाली पेट्रोरसायन इकाइयों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में शामिल करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ड.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश में निम्नलिखित और संशोधन करती है और निम्नलिखित ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, उप पैरा 12 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**"13. गैस क्रैकर्स और नाफ्था क्रैकर्स–**पेट्रोरसायन इकाइयां जो गैस क्रैकर्स या नाफ्था क्रैकर्स या दोनों से युक्त हैं और प्रतिवर्ष जिनकी ऊर्जा खपत 1,00,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और इससे अधिक है।"

[फा. सं. 10/2/2017-EC]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. सं. 394 (अ.), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 1388(अ) तारीख 2 मई, 2017 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

**S.O. 3600(E).—**Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency has, in exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), hereinafter referred to as the said Act, notified twelve energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act as designated consumers *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 [hereinafter referred to as the said Order];

And whereas, the Central Government, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy efficient machinery and equipment required by the industry, and in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, and after being satisfied, has decided to amend the said order to include petrochemical units having specified energy consumption as designated consumers for the purposes of said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said Order and specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:—

In the said Order, after sub-paragraph 12, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

**"13.Gas Crackers and Naphtha Crackers–**Petrochemical units having Gas Crackers or Naphtha Crackers or both and having energy consumption of 1,00,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.".

[F. No. 10/2/2017-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 394(E), dated the 12th March,2007 and was last amended *vide* notification number S.O. 1388(E), dated the 2nd May, 2017.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.16 18:48:22 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940
No. 837] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

**का.आ. 968(अ).**— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 19 मार्च, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) को प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394 (अ) तारीख 12 मार्च, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में :-

(i) उप पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्: -

"4. लोहा और इस्पात - तेल समतुल्य का 20,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष और अधिक।"

(ii) उप पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"9. लुगदी और कागज - तेल समतुल्य के 20,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष और अधिक।"

(iii) उप पैरा 12 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"12. वाणिज्यिक भवन या स्थापन (होटल) - वाणिज्यिक भवनों या स्थापनों के अधीन पैसे होटलों की यूनिटों की खपत प्रतिवर्ष 500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और इससे अधिक है।"

[फा.सं.10/2/2017-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण:**—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. 394 (अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3542 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2015 तथा का.आ. 1388 (अ), तारीख 2 मई, 2017 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF POWER**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2019

**S.O. 968(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

In the said notification, in paragraph 4, -

(i) for sub-paragraph 4, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -
"4. Iron and Steel – 20,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.";

(ii) for sub-paragraph 9, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -
"9. Pulp and Paper - 20,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.";

(iii) for sub-paragraph 12, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"12. Commercial buildings or establishments (Hotels) - Units of such hotels under commercial buildings or establishments having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent per year and above.".

[F.No. 10/2/2017-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

**Note. -** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 394(E), dated the 19th March, 2007 and subsequently amended vide notification number S.O. 3542 (E), dated the 30th December, 2015 and number S.O. 1388(E), dated the 2nd May, 2017**.**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.25 14:18:49 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220276
CG-DL-E-30062020-220276

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1902] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942
No. 1902] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

**का.आ. 2147(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 19 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की तारीख 12 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ.394(अ.), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सीमेंट से संबंधित उप-पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"3. (क) सीमेंट यूनिट- तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और उससे अधिक।

(ख) सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट - तेल समतुल्य का 10,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और उससे अधिक।";

(ii) रेल से संबंधित उप-पैरा 7 में, खंड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(ग) सभी आठ उत्पादन इकाइयाँ अर्थात्, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ), चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू), डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स (डीएमडब्ल्यू), रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ), मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) और रेल व्हील प्लांट (आरडब्ल्यूपी);

(घ) भारतीय रेल की कार्यशालाओं जिनका तेल समतुल्य का कुल वार्षिक ऊर्जा खपत 750 मीट्रिक टन एमटीओई और उससे अधिक हैं।";

(iii) वाणिज्यिक भवन या स्थापन से संबंधित उप-पैरा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"12.(क) होटल - वाणिज्यिक भवन या स्थापनाओं के अधीन ऐसे होटलों की इकाइयाँ जिनकी तेल समतुल्य का ऊर्जा की खपत 500 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष या उससे अधिक है।

(ख) हवाई अड्डे - वाणिज्यिक भवनों या स्थापनाओं के अधीनऐसे हवाई अड्डों की इकाइयाँ जिनकी तेल समतुल्य का ऊर्जा की खपत 500 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष या उससे अधिक है।"

[फा. सं. 10/4/2020-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं.394(अ.) में तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 3542(अ.), तारीख 29 दिसंबर, 2015, का.आ. 1388(अ.), तारीख 2 मई, 2017 और का.आ. 968(अ.), तारीख 22 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किये गए।

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020.

**S.O. 2147(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.394 (E), dated the 12th March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, section 3, sub-section (ii), dated the 19th March, 2007, namely:-

In the said notification,-

(i) for sub-paragraph 3 relating to cement, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"3. (a) Cement Unit- 30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.

(b) Cement Grinding Unit - 10,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.";

(ii) in sub-paragraph 7 relating to railways, for clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c). all eight production units namely, Integral Coach Factory (ICF), Rail Coach Factory (RCF), Chittaranjan Locomotive Works (CLW), Diesel Locomotive Works (DLW), Diesel Loco Modernisation Works (DMW), Rail Wheel Factory (RWF), Modern Coach Factory (MCF) and Rail Wheel Plant (RWP);

(d). workshops of Indian Railways having total annual energy consumption of 750 MTOE and above.";

(iii) for sub-paragraph 12 relating to commercial buildings or establishments, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"12. (a) Hotels - Units of such hotels under commercial buildings or establishments having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.

(b) Airports - Units of such airports under commercial buildings or establishments having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.".

[F. No. 10/4/2020-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 394(E), dated the 19th March, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3542(E), dated the 29th December,2015, S.O. 1388 (E), dated the 2nd May, 2017 and S.O. 968(E), dated the 22nd February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.30 21:32:40 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102020-222232
CG-DL-E-03102020-222232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3066] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942
No. 3066] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

## विद्युत मंत्रालय
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

**का.आ. 3445(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 मार्च, 2007 में प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 394 (अ) तारीख 12 मार्च, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, विद्युत वितरण कंपनियों से संबंधित उप-पैरा 11 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

**"11. विद्युत वितरण कंपनियाँ** – वे इकाईयां, जिन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन राज्य/ संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्ति जारी की गई है।"

[फा.सं. 11-10/5/2020 - ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण –** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 394 (अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3542 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2015, का.आ. 1388 (अ), तारीख 2 मई, 2017, का.आ. 968 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2019 और का.आ. 2147 (अ), तारीख 17 जून, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

**S.O. 3445(E).—**In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 394 (E), dated the 12th March, 2007, published in the Gazette of India. Extraordinary, Part –II, section 3, sub-section (ii), dated the 19th March, 2007, namely:-

In the said notification, for sub-paragraph 11 relating to Electricity Distribution Companies, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"11. **Electricity Distribution Companies.**- Those entities having issued distribution license by State/Joint Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).".

[F. No. 11-10/5/2020-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

**Note.** - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 394(E), dated the 19th March, 2007 and subsequently amended vide notification number S.O. 3542(E), dated the 29th December, 2015, S.O. 1388(E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 968(E), dated the 22nd February, 2019 and S.O. 2147(E), dated the 17th June, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.10.03 17:58:14 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238636
CG-DL-E-07092022-238636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3984] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944
No. 3984] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

**का. आ. 4165(अ).**—केंद्रीय सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य स्थापनाओं को अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ.), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा अधिसूचित किया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), में तारीख 19 मार्च, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) को प्रकाशित हुई थी;

और, केंद्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से अधिसूचना सं. 3600 (अ.), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रति वर्ष 1,00,000 मीट्रिक टन और उससे अधिक तेल समतुल्य की ऊर्जा खपत वाली पेट्रोरसायन इकाइयों (गैस क्रैकर, नेफ्था क्रैकर या दोनों) को शामिल करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन किया था।

और, केंद्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत करने वाली पेट्रोरसायन निर्माण इकाइयों को शामिल करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन करने का विनिश्चय किया है।

अत:, अब केंद्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश में और निम्नलिखित संशोधन करती है तथा निम्नलिखित ऊर्जा गहन उद्योग और अन्य स्थापनाओं को अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में, उप-पैरा (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"(14)** पेट्रोरसायन निर्माण इकाइयाँ, जिनकी निम्नलिखित उत्पादों के लिए न्यूनतम वार्षिक ऊर्जा खपत नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

| **क्र.सं.** | **उत्पाद निर्माण इकाइयां** | **कुल प्रारंभिक ऊर्जा खपत मीट्रिक टन तेल समतुल्य (एमटीओई) प्रति वर्ष और उससे अधिक में।** |
|---|---|---|
| 1 | फाइबर इंटरमीडिएट | 50,000 |
| 2 | पॉलिमर | 10,000 |
| 3 | डिटर्जेंट मध्यवर्ती | 9,000 |
| 4 | निष्पादन प्लास्टिक | 3,000 |
| 5 | अन्य पेट्रोरसायन उत्पाद | 6,000 |
| 6 | सिंथेटिक रबड़ | 15,000 |
| 7 | सुगंधित पदार्थ | 20,000 |

**".**

[फा. सं. 10/3/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्यांक का.आ. 394(अ), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3600(अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF POWER**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th September, 2022

**S. O. 4165(E).—**Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency has, in exercise of the powers conferred by clauses (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), notified the energy intensive industries and other establishments as designated consumers *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 (hereinafter referred to as said order);

And Whereas, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, amended the said order to include Petrochemical units (Gas cracker, Naphtha cracker or both) having energy consumption of 1,00,000 metric tonne of oil equivalent per year and above, *vide* notification no., 3600 (E) dated the 15th November 2017.

And Whereas, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has decided to amend the said order to include Petrochemical manufacturing units having specified energy consumption as designated consumers for the purposes of said Act

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e)of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said order and specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:—

In the said order, after sub-paragraph (13), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(14). Petrochemical manufacturing units having minimum yearly energy consumption for following products as per the table given below:-

| **S. No.** | **Product Manufacturing units.** | **Total Threshold Energy consumption in Metric Tonne of Oil Equivalent (MTOE) per year and above.** |
|---|---|---|
| 1 | Fibre Intermediates | 50,000 |
| 2 | Polymers | 10,000 |
| 3 | Detergent Intermediates | 9,000 |
| 4 | Performance Plastics | 3,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Other Petrochemical products | 6,000 |
| 6 | Synthetic Rubbers | 15,000 |
| 7 | Aromatics | 20,000 |

".

[F. No. 10/3/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number, S.O. 394(E), dated the 12th March 2007 and was last amended vide notification number, S.O. 3600 (E) dated the 15th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.07 16:13:20 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062023-246395
CG-DL-E-08062023-246395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2413] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2023/ज्येष्ठ 18, 1945
No. 2413] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2023/JYAISHTHA 18, 1945

## विद्युत मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2023

**का.आ. 2523(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 मार्च, 2007 में प्रकाशित विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ) तारीख 12 मार्च, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के द्वारा अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य स्थापनों को अधिसूचित किया है।

और केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य स्थापनों की सूची का पुनर्विलोकन किया है और इस बात का समाधान किया है कि उक्त आदेश में ऊर्जा के अन्य उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता वर्ग को भी उक्त आदेश में अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग करने वाली इकाइयों जैसे चीनी, रसायन, सिरामिक, जिंक, कॉपर, ग्लास, पोर्ट ट्रस्ट, डेयरी, ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट, टायर विनिर्माता, फोर्जिंग, फाउंड्री, रेफ्रेक्ट्रीज यूनिट को सम्मिलित करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन करने का विनिश्चय लिया है।

अत: केन्द्रीय सरकार, अब, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश का और संशोधन करती है और निम्नलिखित ऊर्जा गहन उद्योग और अन्य स्थापनों को अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में निर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

(i) उक्त आदेश में, पैरा 4 में, उप-पैरा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"9 लुगदी और कागज़ - प्रति वर्ष 7,500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं ";

(ii) उक्त आदेश में, उप-पैरा 14 के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(15) चीनी - चीनी संयंत्रों की इकाइयां या स्थापन जो चीनी और इसके भिन्न उत्पाद जैसे कि सफेद चीनी, ब्राउन चीनी और द्रव्य चीनी का उत्पादन कर रही हैं, प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष या उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करते हैं।

(16) रसायन - ऐसे रासायनिक संयंत्रों की इकाइयां या स्थापन जो निम्नलिखित रासायनिक चीजों का उत्पादन कर रहे हैं:

(i) क्षार रसायन (सोडा ऐश, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड);

(ii) अकार्बनिक रसायन;

(iii) कार्बनिक रसायन;

(iv) कीटनाशक (तकनीकी);

(v) डाई और पिगमेंट; और

(vi) फार्मास्यूटिकल्स [सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक]

प्रतिवर्ष 3,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा का उपभोग।

(17) सिरेमिक - प्रति वर्ष 5,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग वाले ऐसे सिरेमिक संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो विट्रीफाइड टाइल्स, फर्श टाइल, दीवार टाइल और सेनेटरी वेयर इत्यादि का उत्पादन कर रही हैं, जिसमें पत्थर के बरतन, चीनी मिट्टी के बरतन और आग की ईंट जैसे सभी प्रकार सम्मिलित हैं ।

(18) कांच - कांच के ऐसे संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो कांच और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(19) जस्ता - जस्ता के ऐसे संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो जस्ता और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 20,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(20) तांबा - तांबे के ऐसे संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयाँ जो तांबे और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं ।

(21) पोर्ट ट्रस्ट - पोर्ट ट्रस्ट की ऐसी इकाइयाँ, जिनमें प्रति वर्ष 500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग होती है ।

(22) डेयरी - ऐसे डेयरी संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो डेयरी और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 2,500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(23) ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट - ऑटोमोबाइल असेंबली संयंत्र या स्थापन की ऐसी इकाइयाँ जो ऑटोमोबाइल असेंबल करने का कार्य करती हैं, प्रति वर्ष 3,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं ।

(24) टायर विनिर्माता - टायर विनिर्माता संयंत्रों की ऐसी इकाइयाँ या स्थापन जो टायर बनाने का कार्य करती हैं, प्रति वर्ष 7,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(25) फोर्जिंग - फोर्जिंग संयंत्रों या स्थापनों की ऐसी इकाइयां जो फोर्जिंग के अधीन हैं, प्रति वर्ष 1,500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं ।"

(26) फाउंड्री - फाउंड्री संयंत्रों या स्थापनों की ऐसी इकाइयाँ जो फाउंड्री के अधीन हैं, प्रति वर्ष 5,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं ।"

(27) रेफ्रेक्ट्रीज - रिफ्रैक्टरी संयंत्रों या स्थापनों की ऐसी इकाइयां जो रिफैक्ट्री और इसके तैयार उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं, प्रति वर्ष 3,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं ।

[फा. सं. 10/13/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) सं. का.आ. 394(अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात के कई संशोधनों में अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 4165(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2022 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF POWER**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th June, 2023

**S.O. 2523(E)**.—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency has notified the energy intensive industries and other establishments under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) (hereafter in this order referred to as the said Act) as designated consumers, vide notification of the Government of India, Ministry of Power, number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 (hereinafter referred to as said order);

And whereas, the central government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishments specified in the schedule to the said Act, and is satisfied that some other user or class of user of energy may be specified as designated consumer in the said Order;

And whereas, the Central Government has decided to amend the said order to include Sugar, Chemicals, Ceramic, Zinc, Copper, Glass, Port Trust, Dairy, Automobile Assembly Unit, Tyre Manufacturer, Forging, Foundry, Refractories units having specified energy consumption as designated consumers for the purposes of said Act

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said order and specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:-

(i) In the said order, in paragraph 4, for the sub-paragraph 9, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"9. Pulp and Paper – 7,500 metric tonne of oil equivalent per year and above.".'

(ii) after sub-paragraph 14, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

(15) Sugar – Units of sugar plants or establishment those are under production of sugar and its variants such as white sugar, brown sugar and liquid sugar, having energy consumption of 10,000 metric tonne of oil equivalent per year or above.

(16) Chemical– Units of such chemical plants or establishments those are under production of chemicals with the following items, namely:-

(i) Alkali Chemical (Soda Ash, Potassium Hydroxide);

(ii) Inorganic Chemicals;

(iii) Organic Chemicals;

(iv) Pesticides (Technical);

(v) Dyes and Pigments; and

(vi) Pharmaceuticals (Active Pharmaceutical Ingredient)

having energy consumption of 3,000 metric tonne of oil equivalent per year or above.

(17) Ceramic- Units of such ceramic plants or establishments those are under production of vitrified tiles, floor tile, wall tiles and sanitary ware etc. including all variants such as stoneware, porcelain and fire bricks, having energy consumption of 5,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(18) Glass - Units of such glass plants or establishments those are under production of glass and its finished products, having energy consumption of 10,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(19) Zinc - Units of such zinc plants or establishments those are under production of zinc and its finished products, having energy consumption of 20,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(20) Copper - Units of such copper plants or establishments those are under production of copper and its finished products, having energy consumption of 10,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(21) Port Trust - Units of such Port Trust, having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(22) Dairy - Units of such Dairy plants or establishments those are under production of dairy and its finished products, having energy consumption of 2,500 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(23) Automobile Assembly Unit - Units of such Automobile Assembly plants or establishments those are under automobile assembly, having energy consumption of 3,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(24) Tyre Manufacturer - Units of tyre manufacturer plants or establishments those are under manufacturing of tyres, having energy consumption of 7,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(25) Forging - Units of such forging plants or establishments those are under forging, having energy consumption of 1,500 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(26) Foundry - Units of such foundry plants or establishments those are under foundry, having energy consumption of 5,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

(27) Refractories - Units of such Refractory plants or establishments those are under refractory and its finished products, having energy consumption of 3,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

[F. No. 10/13/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 394(E), dated the 19th March, 2007 and was last amended its various subsequent vide notification number S.O. 4165 (E) dated 7th September 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.08 21:24:10 +05'30'